न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
प्रार्थना पत्र सख्याः–578/20 (आरसीएमएस नं. 2020/00526)

1. सुरेन्द्र मोहन जोशी पुत्र श्रीमोहन जोशी जाति ब्राह्मण निवासी 705, आरबिट मॉल के पास, अजमेर रोड़, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

'मृतक दौराने अपील'

1/1. रवि मूलराजानी पुत्र श्री नारायण दास मूलराजानी जाति सिंधी निवासी 33, वर्नोन ड्राइव, स्टेमोर, मिड्ड, एचए 72 बीपी जी.बी. एवं बी–7, रोचीज मेंसन, रोचीज मार्ग, कंवर नगर, जयपुर जरिये मुख्यत्यार नारायणदास मूलराजानी पुत्र श्री रोचीराम मूलराजानी जाति सिंधी निवासी बी–7, रोचीज मेंसन, रोचीज मार्ग, कंवर नगर, जयपुर।

2. जितेन्द्र जोशी पुत्र मोहन जोशी जाति ब्राह्मण निवासी 705, आरबिट मॉल के पास, अजमेर रोड़, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

---प्रार्थी/अपीलार्थी

बनाम

1. सुमित जोशी पुत्र स्व. श्री सियाराम जोशी जाति ब्राह्मण निवासी 705, आरबिट मॉल के पास, अजमेर रोड़, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर, जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 24.03.2021

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र बाबत पुनरावलोकन (नजरसानी) निर्णय न्यायालय हाजा दिनांक 15.10.2019 अपील संख्या 103/2019 उनवान सुरेन्द्र मोहन जोशी बनाम सुमित जोशी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त उनवानी अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के निर्णत दिनांक 26.03.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की, जिसका निस्तारण न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 15.10.2019 को किया जाकर उक्त अपील को यह कहते हुये अस्वीकार कर खारिज किया कि अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अपीलांट के पिता वादग्रस्त आराजी के खातेदार हीरालाल के दत्तक पुत्र रह हो, जबकि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा जिस भूमि के रिकार्डेड खातेदार हीरालाल पुत्र अम्बालाल कौम ब्राह्मण थे तथा हीरालाल जी के कोई सन्तान नहीं होने के कारण अपीलार्थीगण के पिता श्री मोहन जोशी को अपना दत्तक पुत्र ग्रहण कर लिया था एवं हीरालाल जी की धर्मपत्नि भंवरी देवी ने अपने पति के स्वर्गवास के पश्चात्

P.T.O.

उत्तराधिकार में प्राप्त भूमि हिस्सा 1/4 की वसीयत (अन्तिम इच्छा पत्र) दिनांक 12.02.1992 को अपीलार्थीगण के पिता श्री मोहन जोशी के पक्ष में निष्पादित कर दी थी, उक्त वसीयत (अन्तिम इच्छा पत्र) में अपीलार्थीगण के पिता की असमर्थतता में एवं उनका देहावसान हो जाने की स्थिति में अपीलार्थीगण उक्त सम्पत्ति के मालिक स्वामी होने बाबत तथ्य अंकित कर अपीलार्थीगण को मालिक स्वामी बना दिया था। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थीगण के पिता श्री मोहन जोशी एवं भंवर देवी का स्वर्गवास हो जाने के कारण अपीलार्थीगण उक्त सम्पत्ति के एकमात्र स्वामी मालिक खातेदार काबिज है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त सम्पत्ति से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है, उक्त सभी दस्तावेजात व उक्त सभी तथ्य न्यायालय श्रीमान् की पत्रावली पर उपलब्ध है, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है, लेकिन न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त अपील का निर्णय पारित करते समय न्यायालय श्रीमान् से नजर चुक हुई है तथा कोई विवेचन इस संबंध में निर्णय में किया गया है, जिससे उक्त निर्णय का पुर्नविलोकन/पुनरावलोकन किया जाना न्यायहित में उचित व आवश्यक है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण के पिता के तथा अपीलार्थीगण के हक में उक्त भूमि की स्वामी भंवर देवी ने अन्तिम इच्छा पत्र दिनांक 12.02.1992 को निष्पादित किया है, जिससे अपीलार्थीगण उक्त सम्पत्ति के मालिक स्वामी काबिज है तथा उक्त विरासत का नामान्तारकरण है जो कि उक्त अन्तिम इच्छा के आधार पर खोला जा सकता है तथा पक्षकारान में कोई विवाद नहीं है, बल्कि पक्षकारान ने उक्त नामान्तकरण संख्या 153 को निरस्त करवाया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के स्थान पर अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी राजीनामा प्रस्तुत कर दिया था एवं उक्त सम्पत्ति व अन्य सम्पत्ति के संबंध में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम–11 जयपुर महानगर जयपुर के समक्ष विचाराधीन सिविल वाद में भी पक्षकारान ने राजीनामा दिनांक 11.04.2018 को प्रस्तुत कर उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के पक्ष में खोले जाने व अन्य सम्पत्तियों बाबत आपसी सहमति से विभाजन कर लिया तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा उक्त राजीनामा की पुष्टि राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सिविल रिट पिटिशन में भी पक्षकारान ने की है तथा नियमित वाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता भंवरी देवी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त सम्पत्ति में अपने पति सियाराम अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता का कोई हक अधिकार व हिस्सा नहीं होने का कथन किया है, उक्त सभी तथ्य एवं दस्तावेजात अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध थे, लेकिन न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त अपील का निर्णय पारित करते समय न्यायालय श्रीमान् से नजर चुक हुई है, जिससे उक्त निर्णय का पुर्नविलोकन/पुनरावलोकन किया जाना न्यायहित में उचित व आवश्यक है।

P.T.O.

अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थीगण ने अपने पक्ष में तथाकथित गोदनामा वसीयत आदि पेश नहीं किये, जबकि अधिनस्थ न्यायालय व मान्य न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर सभी दस्तावेजात उपलब्ध थे एवं पक्षकारान ने आपसी सहमति भी प्रदान कर दी थी एवं पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने आपसी सहमति से सम्पत्तियों को बंटवारा भी कर लिया था तथा उक्त नामान्तरकरण विरासती नामान्तरकरण है तथा पक्षकारान के अलावा अन्य किसी ने उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई उज्र आपत्ति क्लेम आदि भी नहीं किया है तथा अन्य किसी का कोई संबंध व सरोकार भी नहीं है, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किये गये नामान्तरकरण संख्या 153 को निरस्त किया जाकर उक्त राम्पत्ति का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के पक्ष में तस्दीक किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायहित में उचित व आवश्यक है, लेकिन न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त अपील का निर्णय पारित करते समय नजर चुक हुई है, जिससे उक्त निर्णय का पुर्नविलोकन/पुनरावलोकन किया जाना न्यायहित में उचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय श्रीमान् के निर्णय दिनांक 15.10.2019 का पुर्नविलोकन/ पुनरावलोकन किया जाकर प्रार्थीग्ण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाया जाकर भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 227 रकबा 9 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी, खसरा नम्बर 225/425 रकबा 16 बिस्वा बंजड़ कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा हिस्सा 1/4 वाके ग्राम मदरामपुरा तहसील व जिला जयपुर में स्थित हीरालाल पुत्र अम्बालाल की विरासत का तहसीलदार जयपुर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 153 दिनांक 02.02.2012 को खारिज किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर हीरालाल पुत्र अम्बालाल हिस्सा 1/4 की विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के स्थान पर अपीलार्थी जितेन्द्र जोशी पुत्र श्री मोहन जोशी एवं रवि मूलराजानी पुत्र नारायणदास मूलराजानी के नाम तस्दीक किये जाने की कृपा करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। अपील/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में गुणावगुण पर पारित आदेश दिनांक 15.10.2019 को हस्तगत पुर्नराविलोकन प्रार्थना पत्र के माध्यम से रिव्यू कराना चाह रहे है जबकि पुर्नराविलोकन प्रार्थना पत्र के माध्यम से केवल लिपिकीय त्रुटिया या एरर ऑन दा फेस ऑफ रिकार्ड को ही दुरूस्त कराया जा सकता है जबकि

हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य ज्ञात नही होता है जिससे कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में गुणावगुण पर पारित आदेश दिनांक 15.10.2019 को पुर्नराविलोकन किया जा सके। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पुर्नराविलोकन खारिज योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पुर्नराविलोकन खारिज किया जाता है।

(डॉ0समित शर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।